

01/06/22

वकील वादी मथ वादी अनुपस्थित  
वादी एवं वकील वादी को पत्र  
उपलक्ष्य बार-बार आवान दी गई, बावजूद  
उसके वादी मथ वकील अनुपस्थित किए।  
वाद-वादी विरुद्ध अप्रतिवादीगण-अन्वयित  
द्वारा 88, 89, 53, 92A, 188 RTI  
उद्देश्य हाजरी, अहम पंरवी मे खारीज  
किया जाता है

~~राजेश कुमार~~  
(D.O.) सही